न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वा.

प्रकरण क्रमांक :– ..../I/2017 निगरानी

कालका प्रसाद कुशवाह पुत्र श्री रमेश कुशवाह निवासी रिछरा फाटक बाहर झिरका बाग दतिया मध्य प्रदेश –*प्रार्थी*

बनाम

1– राजू कुशवाह

2– विनोद कुशवाह, पुत्रगण श्री वनमाली कुशवाह निवासीगण हरदौल मोहल्ला वासन का पुरा दतिया मध्य प्रदेश

3– श्रीमती रानी कुशवाह पत्नी श्री राकेश कुशवाह पुत्री श्री वनमाली कुशवाह निवासी ग्राम बसवाहा पोस्ट बसवाहा तहसील व जिला दतिया मध्य प्रदेश

4– श्रीमती दीप्ती कुशवाह पत्नी श्री हरी सिंह कुशवाह निवासी ग्राम हंसापुरा तह भाण्डेर जिला दतिया –*प्रतिप्रार्थीगण*

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 25/01/2017 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सम्भाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 590/2013–14/अपील व उनमान कालका प्रसाद बनाम राजू कुशवाह आदि। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दतिया प्रकरण क्रमांक 76/2013–14/अपील आदेश दिनांक 12/08/2014। तहसीलदार दतिया का प्रकरण क्रमांक 117/अ–6/2012–13 आदेश दिनांक 31/01/2014।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त विवरण :–

1– यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, विवादित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 626–एक/17 जिला –दतिया

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
4 .5.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आनन्द कुमार दुबे उपस्थित होकर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 590/2013–14/अपील में पारित आदेश दिनांक 25.1.2017 के विरूद्व इस न्यायालय में यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 230/2796 सर्वे कमांक 230/2792/4 सर्वे कमांक 230/2797/7 सर्वे कमांक 231/2 सर्वे कमांक 231/5 सर्वे कमांक 236 एवं सर्वे कमांक 240 कुल किता 7 रकवा 0.498 आरे में से 1/3 भाग की भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी प्रार्थी की बुआ स्व0 श्रीमती कमला कुशवाह पुत्री स्व0 श्री लुखई कुशवाह थी। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि उनके पिता स्व0 लुखई कुशवाह थे लुखई की मृत्यु के वाद विवादित भूमि स्व0 कमला को विरासत में प्राप्त हुई थी। विवादित भूमि स्व0 कमला की स्वर्जित	

संपत्ति थी। उनके द्वारा तर्क किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 जमीन बेच कर पैसा उन्हें देने के लिये दबाव डाल रहे हैं। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3—अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जारी इश्तहार का प्रकाशन विधि अनुसार नहीं कराया गया है जिसके कारण अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश हस्तक्षेप की आवश्काता नहीं समझाता हूँ। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 14.1.2017 उचित होने से आवेदकगण की निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य